राजस्व अनुवृत्ति पत्र

रा0मा0क0 202504090700042अ–62वर्ष 2024–25

(1)	(2)	(3)
22-4-2025	प्रकरण पेश ।	
	प्रकरण का अवलोकन किया ।	
	आवेदक श्री देवदत्त साव आ0 बालाराम साव निवासी ग्राम धीरी तहसील व जिला राजनांदगांव द्वारा स्वयं के नाम पर ग्राम धीरी प0ह0नं0 65 तहसील व जिला राज स्थित भूमि खसरा नं. 414 रकबा 0.1540 एवं खसरा नं. 442 रकबा 0.1050 हे0 में स्थित 4 एवं 7 कुल 11 नग सागौन प्रजाति के वृक्ष जो कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, वृक्ष की छाया से फसल का उत्पादन नहीं होता, जिसे काटे जाने की अनुमति चाही गई है ।	
	आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत खसरा में आवेदक का नाम देवदस पिता बालाराम साहू दर्ज है , जबकि आवेदक के आवेदन, स्व–घोषण, एवं आधार कार्ड में देवदत्त पिता बालाराम दर्ज है । आवेदक के आवेदन एवं प्रस्तुत खसरा पांचसाला में आवेदक के नाम में भिन्नता है । प्रकरण में आवेदक के पुत्र रघुनंदन द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदक की मृत्यु होना बताया गया ।	
	चूंकि आवेदक के आवेदन, एवं प्रस्तुत खसरा में दर्शित नाम में भिन्नता है एवं आवेदक की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इसी स्तर पर खारिज कर नस्तीबद्ध किया जाता है । प्रकरण अभिलेखागार दाखिल किया जावे ।	
	(खेम लाल वर्मा) अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव (छ0ग0) अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव (छ.ग.)	